छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा दशम सत्र अंक-05

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2016

(कार्तिक 30, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08 से 12, 14 एवं 15 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 एवं 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री उमेश पटेल एवं डॉ. खिलावन साहू अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 52 तारांकित एवं 65 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा परिसर में चरणबद्ध रूप से पृथक पुस्तकालय भवन निर्माणाधीन है। इसके प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसका उद्घाटन सोमवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को दोपहर 2.00 बजे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। समस्त माननीय सदस्य, अधिकारी एवं पत्रकार गण आमंत्रित हैं। इस अवसर पर भोज में भी आप सादर आमंत्रित हैं।

उक्त के पूर्व नवीन समिति कक्ष में जागरण समूह के प्रकाशन संकल्प का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा। जिसके निमंत्रण पत्र माननीय सदस्यों को वितरित किये जा रहे हैं।

3. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा किसानों को धान खरीदी की राशि का भुगतान नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 30 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का उत्तर सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदसय नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.27 बजे स्थगित की जाकर 12.32 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

4. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन एवं निलंबन समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, दिलीप लहरिया, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, मनोज सिंह मंडावी, अरूण वोरा, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री शंकर ध्रुवा, (डॉ.) प्रीतम राम, कवासी लखमा, सियाराम कौशिक, भोलाराम साहू, राजेन्द्र कुमार राय, जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा, गिरवर जंघेल, दलेश्वर साहू एवं श्री अमित अजीत जोगी।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों का निलंबन समाप्त करने की घोषणा की।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

01. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद- 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे खण्ड (1) एवं खण्ड (2) तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन,

02. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005, (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2016-17 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

03. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 66/ छ.ग.रा.वि.नि.आ. /2016, दिनांक 1 सितम्बर 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016,

04. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 71/ छ.ग.रा.वि.नि.आ. /2016, दिनांक 27 जून, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें तथा संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2016,

05. श्री लखन देवांगन, संसदीय सचिव ने कंपनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उप धारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

06. श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15,

07. श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार सरंक्षण आयोग अधिनियम 2005 (क्रमांक 04 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16, तथा

08. श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 **पटल पर रखे।**

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 35 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल कर यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री अरूण वोरा, सदस्य ने प्रदेश में मार्कफेड द्वारा खराब बारदाना नीलाम न करने से आर्थिक क्षति होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री भूपेश बघेल, शिवरतन शर्मा, धनेन्द्र साहू, सदस्य ने प्रदेश में रबी फसल तथा ग्रीष्म कालीन धान हेतु पानी न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में उच्च दाब विद्युत पारेषण टॉवर लाईन से प्रभावित किसानों को मुआवजा भुगतान न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(1.32 से 3.17 तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री भूपेश बघेल, अरूण वोरा, सदस्य ने प्रदेश की विद्युत कंपनियों का निजीकरण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक सदस्य

5. श्री टी.एस.सिंहदेव
6. श्री लालजीत सिंह राठिया
7. सर्वश्री धनेन्द्र साहू, भूपेश बघेल, अमरजीत भगत
8. श्री टी.एस.सिंहदेव
9. डॉ.विमल चोपड़ा
10. श्री संतराम नेताम
11. डॉ. प्रीतम राम
12. श्री भैयाराम सिन्हा
13. श्री केशव चन्द्रा
14 श्री भोलाराम साहू, डॉ. प्रीतम राम
15. श्री मोतीलाल देवांगन
16. श्री बृहस्पत सिंह
17. श्री अमित अजीत जोगी
18. श्री दीपक बैज
19. श्री अरूण वोरा
20. श्री नवीन मारकण्डेय
21. श्री बृहस्पत सिंह
22. श्री दलेश्वर साहू
23. श्री दलेश्वर साहू
24. डॉ.विमल चोपड़ा
25. श्री देवजी भाई पटेल
26. श्री सत्यनारायण शर्मा
27. श्री मोतीलाल देवांगन

28. डॉ.विमल चोपड़ा
29. श्री संतराम नेताम
30. सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, भूपेश बघेल
31. सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, भूपेश बघेल
32. श्री देवजी भाई पटेल
33. डॉ.विमल चोपड़ा
34. डॉ.विमल चोपड़ा
35. श्री पारसनाथ राजवाड़े

7. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री अरूण वोरा, सदस्य के दिनांक 22.11.2016 को जन्मदिवस होने के अवसर पर सदन की ओर माननीय सदस्य को शुभकामनाएं दीं।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार श्री दीपक बैज, सदस्य की नियम 267-क की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री बघेल लखेश्वर
(2) श्री दलेश्वर साहू
(3) श्री भोलाराम साहू
(4) श्री दीपक बैज
(5) श्री केशव चंद्रा

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016
(क्रमांक 24 सन् 2016)

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अमरजीत भगत, नवीन मारकण्डेय, श्यामबिहारी जायसवाल, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, डॉ.सनम जांगड़े।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) पारित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

11. प्रतिवेदन पर चर्चा

सकरी, गौरेला, पेण्ड्रा व मरवाही, जिला बिलासपुर में दूरबीन पद्धति से आयोजित नसबंदी शिविरों में 13 महिलाओं की मृत्यु एवं अन्य की गंभीर अस्वस्थता का न्यायिक जांच प्रतिवेदन

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री शिवरतन शर्मा, (डा.) प्रीतम राम, अमरजीत भगत,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पदक्रम 7 का कार्य एवं अन्य औपचारिक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, सत्यनारायण शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी भाई पटेल।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

12. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री संतोष बाफना, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा, डॉ0 विमल चोपड़ा द्वारा महासमुंद जिले के जिलाधीश श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार झा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री ओंकार यदु एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुकरेजा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 27.11.2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

13. नियम 167 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167(1) के परन्तुक के अंतर्गत -

1. माननीय सदस्य सर्वश्री अमित अजीत जोगी, राजेन्द्र कुमार राय एवं सियाराम कौशिक द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 15 नवंबर, 2016 तथा
2. माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 18 नवंबर, 2016

को विचारोपरांत उन्होंने प्रथम दृष्टया कक्ष में ही अग्राह्य कर दिया है।

14. विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, दीपक बैज एवं मोहन मरकाम ने माननीय मंत्री जी (गृह) द्वारा सदन में गलत जानकारी देने को आधार बनाकर विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। इस प्रकार के मामलों में लोक सभा एवं विधान सभाओं में यह अनेक अवसरों पर ठहराया जा चुका है कि चूंकि माननीय मंत्री अथवा माननीय सदस्य दिन-प्रति-दिन उन्हें **प्राप्त जानकारी** के आधार पर सभा में जानकारी देते हैं और दोनों के द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण या भ्रामक हो सकती है। अत: सदन में गलत अथवा भ्रामक जानकारी विशेषाधिकार भंग की परिधि में नहीं आता। मैं यहां लोक सभा अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को भी उद्दत करना चाहूंगा :-

"किसी मंत्री द्वारा दिये गए गलत वक्तव्यों के आधार पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यदि जान-बूझकर झूठ बोला जाय और यह प्रमाणित हो जाय, तभी विशेषाधिकार भंग होता है। अन्य भूलें तथा त्रुटियां उक्त श्रेणी में नहीं आती क्योंकि प्रति दिन मंत्री वक्तव्य देते हैं, जिसमें त्रुटियां होती हैं और वे उन भूलों का सुधार करते हैं।"

मैंने विशेषाधिकार भंग की सूचना को प्रथम दृष्टया अग्राह्य कर दिया है।

15. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का आज अंतिम दिवस है । यह शीतकालीन सत्र दिनांक 15 नवम्बर से 21 नवम्बर, 2016 के मध्य आहूत था, जिसमें कुल 5 बैठकें हुई । इस सत्र में सामयिक महत्व के विषयों पर समग्र रूप से चर्चा हुई, जिसका श्रेय आप समस्त माननीय सदस्यों को है । सत्र के संचालन में सहयोग के लिये सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री,माननीय मंत्रिगण, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के माननीय सदस्य सहित पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

सत्र समापन के अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त माननीय सदस्यों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, इस परिवर्तन का उद्देश्य फलीभूत हो और इसमें हम सबकी सहभागिता हो ऐसी मेरी अभिलाषा है । देश के लिये जो अनुकूल है उसकी स्वीकार्यता हमारा संकल्प होना चाहिये ।

वर्तमान सत्र के प्रथम दिवस 15 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण एवं विमुद्रीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर जहां प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सभा में इस विषय को उठाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमुद्रीकरण के निर्णय पर समर्थन स्वरूप प्रस्ताव की सूचना दी । मैंने दोनों ही सूचनाओं की ग्राह्यता के संबंध में व्यवस्था देते हुये प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय को सभा में लेने का निर्णय लिया और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी मेरी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा में हिस्सा लेकर लोक महत्व के राष्ट्रीय विषय पर अपनी बातों को रखा, इस प्रकार पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने सभा में एक बार पुनः यह स्थापित किया कि जनहित के किसी भी विषय पर मत वैभिन्न होने के बावजूद चर्चा के माध्यम से असहमति से सहमति की ओर बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रत्येक माननीय सदस्य में विद्यमान है ।

इस सदन में आप सभी विभिन्न राजनीतिक विचाराधारा एवं राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से बंधे हुये हैं, किन्तु इसके बावजूद सदन में संसदीय परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं के प्रति आपके मन में दृढ़ विश्वास की मैं प्रशंसा करता हूँ । वर्तमान सत्र में एकाधिक अवसर ऐसे भी आये हैं, जिसे संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं कहा जा सकता और तत्संबंध में मैंने अपनी व्यवस्था भी दी।

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली में स्वयमेव निलंबन का नियम सम्मिलित कर तथा सर्वप्रथम आचरण समिति का गठन कर इस प्रदेश की विधान सभा ने संसद सहित राज्यों के विधान मंडलों में अपना एक पृथक स्थान बनाया है । किन्तु नियमों का होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना भी है।

मैं इस संबंध में केवल यही कहना चाहंगा कि यदि कोई माननीय सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है तो वह नियमों का उल्लंघन मात्र नहीं अपितु इस सभा की और स्वयं की अवमानना करता है, क्योंकि माननीय सदस्य इस सभा के अविभाज्य अंग हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि सभा में विरोध करने के मान्य तरीके अर्थात तार्किक बहस और अपवाद स्वरूप सभा से बहिर्गमन ही केवल ऐसे माध्यम हैं, जिनसे न केवल विरोध की अभिव्यक्ति की जा सकती है अपितु सरकार को निर्णय परिवर्तन के लिये बाध्य भी किया जा सकता है ।

सत्र समापन के अवसर पर मैं इस तथ्य की ओर भी सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि विगत कुछ वर्षों में विधान सभा सचिवालय के प्रयासों से सभा की कार्यवाही देखने वाले इस प्रदेश के नागरिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है । फलस्वरूप इस सत्र में स्कूल एवं कॉलेजों के 3600 छात्र-छात्रायें विधान सभा परिसर में आये और सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया । इसके साथ ही वर्तमान सत्र में 1060 पंचायत प्रतिनिधि एवं 300 सहकारिता प्रतिनिधियों ने भी सरकार की महत्वाकांक्षी ''हमर छत्तीसगढ़'' योजना के अंतर्गत विधान सभा परिसर में आये और विधान सभा की कार्यवाही के अवलोकन सहित सम्पूर्ण परिसर का भ्रमण

किया तथा 4200 नागरिकों ने भी विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया । उल्लेखनीय है कि जुलाई सत्र के उपरान्त त्रिस्तरीय पंचायती राज के 24282 प्रतिनिधियों ने विधान सभा का भ्रमण किया ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से एवं इस सभा की ओर से बधाई देता हूँ । त्रिस्तरीय पंचायती राज के सबसे प्रथम पायदान पंच से लेकर जिला स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस योजना के माध्यम से उन्होंने विकसित होते हुये छत्तीसगढ़ की जानकारी गांव-गांव तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही पहुंचाने का जो कार्य किया है, उससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास को गति मिलेगी । इस योजना में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की सहभागिता भी उल्लेखनीय है ।

विधान सभा परिसर एवं इसकी कार्यवाही के अवलोकन के लिये प्रति दिन हजारों की संख्या में आने वाले आगन्तुकों को सभा की कार्यवाही से परिचित कराने में संलग्न इस सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इस अवसर पर मैं प्रशंसा करता हूँ । मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि यदि त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों, प्रदेश की युवा पीढ़ी संसदीय प्रणाली को समझेगी, उनकी इस प्रणाली में आस्था मजबूत होगी तो संसदीय लोकतंत्र भी मजबूत होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ की विधान सभा की बैठकें वर्ष 2001 के बजट सत्र से वर्तमान भवन में हो रही है । विगत वर्षों में इस भवन एवं परिसर को विधान सभा की गरिमा के अनुरूप निरंतर विकसित किया जाता रहा है, जिसके अंतर्गत सभा भवन का विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण, डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह का निर्माण, सेन्ट्रल हॉल का निर्माण, खेल प्रशाल का निर्माण और विधान सभा परिसर में बाग-बगीचों को विकसित करना आदि रहा है। इसी क्रम में द्वितीय विधान सभा के कार्यकाल में पुस्तकालय की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से एक पांच मंजिला भवन का प्रस्ताव भी राज्य शासन ने अनुमोदित किया था, जिसका शिलान्यास दिनांक 5 जून, 2008 को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय की उपस्थिति में हुआ था ।

पुस्तकालय के साहित्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है, फलस्वरूप इसके स्थान की आवश्यकता भी वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती है । वर्तमान में पुस्तकालय जिस भवन में स्थित है, उसमें विगत दो-तीन वर्षों से स्थान की कमी महसूस की जाती रही है । फलस्वरूप नवीन निर्माणाधीन पुस्तकालय भवन का प्रथम चरण पूर्ण होने पर यह निर्णय लिया गया कि पुस्तकालय के साहित्य को नवीन पुस्तकालय भवन में स्थानांतरित किया जाये और इसी उद्देश्य से आज प्रथम चरण का निर्माण पूर्ण होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से आप सबकी उपस्थिति में पुस्तकालय भवन का उद्घाटन संपन्न हुआ । मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ और मैं शासन की भी इस बात के लिये प्रशंसा करता हूँ कि माननीय सदस्यों की सुख-सुविधा और संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन में शासन ने हमेशा सहयोग प्रदानकिया।

आगामी कुछ माह में पुस्तकालय नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया जायेगा ताकि आप सभी माननीय सदस्य अधिक सुविधाजनक रूप से पुस्तकालय का उपयोग कर सकें । सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में माननीय सदस्य इंटरनेट से भी जानकारी प्राप्त कर सके, इस हेतु एक कक्ष में इंटरनेटयुक्त कम्प्यूटर्स भी स्थापित किये जायेंगे ।

मैं सभा को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान सभा परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य की निरंतरता में परिसर में स्वामी विवेकानंद की लगभग 14 फीट की प्रतिमा स्थापित करने तथा डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह के सन्मुख डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी की एक बस्ट स्थापित करने की कार्यवाही भी जारी है और इसी के साथ सेन्ट्रल हॉल में महापुरूषों की स्मृतियों को बनाये रखने एवं उनके देश के विकास में योगदान को चिर-स्मरणीय बनाने हेतु तैलचित्र लगाये जाने की कार्यवाही भी आरंभ की जा रही है ।

अब मैं इस शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही के सांख्यिकी आंकड़ों से आपको अवगत कराना चाहूंगा:-

इस सत्र के कुल 5 कार्य दिवसों में कुल 25 घंटे 27 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में प्रश्नों की 830 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 369 एवं अतारांकित प्रश्नों की संख्या 320 रही। इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुई एवं 1 सूचना पर सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में 14 अशासकीय संकल्प की सूचनायें प्राप्त हुयी, जिनमें से दो विषयों पर 3 संकल्प ग्राह्य हुये एवं सभा में चर्चा उपरांत एक विषय से संबंधित 2 अशासकीय संकल्प की सूचनायें वापस ली गई और एक संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में कुल 166 स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से एक विषय से संबंधित 30 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को सभा में पढ़ी जाकर शासन के वक्तव्य के पश्चात् अग्राह्य किया गया । कक्ष में अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 100 रही। इस सत्र में शून्यकाल की 25 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 6 सूचनायें ग्राह्य व 19 सूचनाएं अग्राह्य रही।

इस सत्र में कुल 218 ध्यानाकर्षण की सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें 63 सूचनायें ग्राह्य व 153 सूचनाएं अग्राह्य रही। इस सत्र में कुल 5 विधेयक लाये गये एवं सभी विधेयक पारित हुए। इस सत्र में विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 8 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये तथा लोक लेखा समिति के 9 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये गये । वहीं 5 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गई । इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों के पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ।

इस सत्रकाल में माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का उपयोग किया । सभा के कार्य के संबंध में पुस्तकालय से 48 साहित्य उपलब्ध कराये गये । 3900 विजिटर्स ने विधान सभा की वेबसाइट का अवलोकन किया ।

मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रभावी रूप से सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों से आम जनता को अवगत कराया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित ऐसे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जिनका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग रहा तथा राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने उत्तरदायित्वों का गंभीरता से निर्वहन किया। जिला प्रशासन सहित सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका। परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी बजट सत्र फरवरी माह के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

वर्ष 2016 का यह अंतिम सत्र है । आगामी सत्र अब वर्ष 2017 में होगा, जब हम सब पुनः प्रदेश की इस सर्वोच्च पंचायत में सम्मिलित होंगे । मैं आप सबको नये वर्ष की अग्रिम बधाई देता हूँ । धन्यवाद ।

! जय हिन्द ! जय भारत ! जय छत्तीसगढ!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए।

16. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मण की धुन बजाई गई)

सायं 6.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा